परियोजना का नामः—

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Jal Sansthan
Chamba (Tehri)

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

(53)

संख्या: 1295 /उन्तीस(2)/16–2(35 पे0)/2012

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 03 जुलाई अगस्त, 2016

विषय– जनपद टिहरी गढ़वाल विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पेयजल योजना(बहुल ग्राम योजना) निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के पत्र संख्या: 984/DPR-79(IX)/2014-15 दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल विकासखण्ड थौलधार की सूरीधार ग्राम समूह पेयजल योजना(बहुल ग्राम योजना) निर्माण कार्य अनुमानित लागत ₹ 2364.21लाख पर टी.एस.सी. वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त (निर्माण कार्य हेतु ₹ 1719.92 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत ₹ 622.37लाख) औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2342.29लाख (₹ तेईस करोड़ बयालीस लाख उन्तीस हजार मात्र) जिसे दिनांक 23 मार्च, 2015 की बैठक में व्यय वित्त समिति द्वारा Contingency को 1% की सीमा तक रखे जाने तथा शेष कटौती अन्य अनावश्यक मदो से अर्थात कुल 10% की कटौती करते हुए कार्य हेतु अनुमोदित की गयी कुल लागत रू0 2108.07लाख (रू0 इक्कीस करोड़ आठ लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 25.00लाख(₹ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(I)– स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(II)– स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(III)– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस से स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(IV)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(V)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(VI)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(VII)- उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(VIII)- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01 -जलपूर्ति -आयोजनागत-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-ग्रामीण पेयजल सेक्टर-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1607131780 दिनांक 29 जुलाई,2016 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई,2016 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-299/XXVII(2)/2016, दिनांक 20 जुलाई,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 (1)/उन्नीस(2)/16-2(35पे0)/2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. बजट अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।